

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-05/2025

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० निहारिका रानी, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ को स्वास्थ्य विभागीय आदेश सख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कंडिका-07 के शर्ताधीन दिनांक-01.02.2024 से 29.07.2024 तक कुल-180 दिनो का प्रथम संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

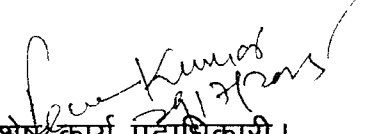
ज्ञापांक :-17/विविध- 01-05/2025- 819/17) पटना, दिनांक :- 30/07/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० निहारिका रानी, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।